प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.09.23

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा भूमाफिया अभियुक्त की 10 करोड की सम्पत्ति जनपद रामपुर में सीज करने के सम्बंध में ।

दिनांक 13.09.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 488/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त महबूब अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गांव पावी थाना ट्रॉनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद जो एक खूंखार अपराधी तथा भूमाफिया है जिसके खिलाफ दो दर्जन मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं इसकी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 91 करोड़ की संपत्ति की विभिन्न जिलों में सीजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से दिनांक 13.09.2023 को जनपद रामपुर की संपत्ति जो तहसील शाहबाद स्थित कृषि भूमि कीमत लगभग 5 करोड व तहसील सदर के ग्राम पनबडिया स्थित चौ. नूर मार्केट 4 दुकान व 1 मोबाइल टावल कीमत करीब 5 करोड कुल कीमत 10 करोड की नियमानुसार संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ तस्करी/बिक्री करने वाले महिला सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 किलोग्राम गाँजा व 6000/- रुपये बरामद

दिनांक 14/09/2023 को चौकी क्षेत्र बजरिया में चेकिंग के दौरान एक महिला सहित 03 अभियुक्त को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम व स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा रेलवे माल गोदाम रेलवे खण्डरो से 12 किलोग्राम नाजायज गाँजा व 6000/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्तगणो ने बताया हम घूम फिर कर राह चलते ग्राहको को गाँजा बेचते है जो आपने हमसे रुपये बरामद किये गये है वह गाँजा बिक्री के ही है।

नाम पता अभियुक्तगण

1- सलमान पुत्र यासीन निवासी म0न0- 36 गली न0- 01 मिर्जापुर (वीर अब्दुल हमीद कालोनी) प्रताप बिहार थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
2- मनोज कुमार पुत्र स्व0 नेत्रपाल निवासी म0न0- 587 लाल क्वाटर सुदामापुरी विजय नगर बाईपास थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष
3- साबरी पत्नी समसुद्दीन निवासी म0न0- 642 लाल क्वाटर सुदामापुरी विजय नगर बाईपास थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सलमान के विरूद्ध -

जनपद गाजियाबाद मे 03 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के व 01 अभियोग अवैध शस्त्र से संबंधित कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त साबरी के विरूद्ध -

जनपद गाजियाबाद मे 03 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के व 01 अभियोग हत्या से संबंधित कुल 04 अभियोग पंजीकृत है ।

बरामदगी-

1. **कुल 12 किलोग्राम गांजा**
2. **6000/- रु०**

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम व
स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त नगर

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 08 चारपहिया बरामद

दिनाँक-13/09/2023 को क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा एनसीआर क्षेत्र में चार पहिया गाड़ियों की चोरी करने व बेचने वाले अन्तर्राज्यीय वाहन चोरो के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 शातिर अभियुक्तो को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से 08 चोरी के चार पहिया वाहन व चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त सुनील उर्फ काला ने बताया कि मैं 8वीं फेल हूँ। मैं करीब 12 वर्षो से टैम्पो चलाने का काम करता था परन्तु उसमे ज्यादा कमाई नही थी कुछ दिन मैने मुर्गा बेचने का भी काम किया था इन सब कामो मे मेहनत ज्यादा थी आमदनी कम थी जिससे मेरा व मेरे घर का खर्चा नही चल पाता था। इसी बीच मै चाँद व हाकिम मुल्ला के सम्पर्क मे आया और गाडी चोरी करने व बेचने लगा। अभियुक्त आस मोहम्मद ने बताया कि मै 8 वीं पास हूँ और घर की स्थिति अच्छी न होने के कारण गाडियो की डेंटिग पेन्टिग का काम सीख कर सोनीपत मे गैराज खोलकर काम करने लगा मेरे गैराज पर ही शहजाद व सुनील उर्फ काला से मुलाकात हुई जिससे मै चोरी की गाडी लेकर आगे सप्लाई करने लगा जिसमें काफी मुनाफा होने लगा।

विस्तृत पूछताछ पर अभियुक्त सुनील उर्फ काला ने बताया कि मेरा व हाकिम, आस मौहम्मद, शहजाद, ईस्माईल, रिंकू उर्फ नूर मौहम्मद का एक संगठित गिरोह है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चार पहिया गाडियों को मांग के अनुसार चोरी कर एक-दूसरे के

माध्यम से आगे बेचने का काम करते है। मुझे गाडी की डिमाण्ड शहजाद व आस मौहम्मद बताते है फिर मैं, हाकिम, नूर मौहम्मद व ईस्माईल डिमाण्ड वाली गाडी को चोरी करने के लिए रात्रि के समय गाडी से ही रैकी करते है और जब रैकी करने के बाद गाड़ी को चिन्हित कर लेते हैं, तब मौका देखकर मैं, हाकिम, नूर मौहम्मद व इस्माईल मौके पर पहुंचकर इलेक्ट्रोनिक डिवाइस (टैब) के माध्यम से नकली चाबी बना लेते हैं और फिर गाड़ी चोरी करके कुछ दूर जाने के बाद उसकी नम्बर प्लेट चेन्ज कर देते हैं और जीपीएस काम ना करे उसके लिए जैमर लगा देते है और बाद मे चैक करके उसको निकालकर फेक देते हैं। फिर चोरी की गाड़ी को अपने छुपाने के स्थानों पर ले जाकर खड़ी कर देते हैं और कुछ समय बाद गाडी की डिमाण्ड करने वाले साथी को बेच देते है और वो आगे पार्टी को बेच देते है अगर मुझे भी कोई पार्टी सीधा मिलती है तो उसको उसकी डिमाण्ड के अनुसार गाडी चोरी करके बेच देता हूँ। गाडी चोरी करके बेचने में जो पैसा मिलता है उसको हम लोग आपस में बराबर – बराबर बांट लेते है और उसी पैसे से हम अपने शौक पूरे करते है व अपने घर का खर्चा चलाते है, हम लोग यह काम कई वर्षों से कर रहे हैं। मेरे साथी हाकिम व नूर मौहम्मद उर्फ रिंकू कुछ समय पहले चोरी गाडियों के साथ जेल चले गये है।

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर यह भी बताया कि जब हम गाड़ी चुराने आते थे तो उस समय पहचान छुपाने के लिए अपनी गाड़ी की नम्बर प्लेट बदलकर-बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर पहले से तयशुदा स्थान पर इकठ्ठा हो जाते थे और मोबाइलों को फ्लाइट मोड़ पर कर लेते थे। हम लोग आपस में व्हाट्स-एप पर ही मैसेज व कॉल करते थे, आपस में नोर्मल कॉल करने से बचते हैं।

अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा आस-पास के राज्यों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया गया है । अभियुक्तगण पूर्व में भी कई बार वाहन चोरी में जेल जा चुके हैं। अभियुक्तों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्तों व चोरी की गाड़ियों की खरीद-फरोख्त करने वालों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीम बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

1.सुनील उर्फ काला पुत्र रामचन्द्र निवासी मूल निवासी म0न0 40 ग्राम तिगरी खुर्द थाना भौरगढ दिल्ली 40 हाल निवासी किराये पर बुद्धबिहार फेस 2 ब्रहमशक्ति अस्पताल के पास थाना बुद्धबिहार दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष

2.आस मौहम्मद उर्फ आशु पुत्र यामीन निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र करीब 33 वर्ष

<u>बरामदगी:-</u>

1.स्विफ्ट कार रंग सफेद रजि0 न0- DL 8CBC 9655, फर्जी न0 प्लेट DL 9CAS 5675 – 01 (रोहिनी दिल्ली से चोरी)
2.आई-10 कार रंग सफेद रजि0 न0- DL 8CAV 9216, फर्जी न0 प्लेट HR 10AB 6522 - 01 (बरवाला दिल्ली से चोरी)
3.आई-10 कार रंग सफेद रजि0 न0- DL 8CAP 5444, फर्जी न0 प्लेट RJ 1CC 0494 01 (गुरू हरिकृष्ण नगर दिल्ली चोरी)
4.स्कोर्पियो रंग सफेद - 01 (थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद से चोरी)
5.क्रेटा रंग सफेद फर्जी न0 प्लेट DL 7CT 6347 – 01 (चोरी की)
6.वैगनार कार रंग सफेद फर्जी न0 प्लेट HR 69C1036 – 01 (चोरी की)
7.स्विफ्ट कार रंग ग्रे फर्जी न0 प्लेट HR 13K 2583 – 01 (चोरी की)
8.ऑल्टो कार रंग लाल फर्जी न0 प्लेट HR 30L 9274 – 01 (चोरी की)
9.फर्जी नम्बर प्लेट- 07 जोडी (कुल 14)
10.एल.एन.टी. (लॉक तोडने के लिए)- 02 अदद
11.बनी एंव बिना बनी चार पहिया गाडियोँ की चिपयुक्त रिमोट वाली व बिना रिमोट वाली चाबियाँ – 06 अदद

<u>आपराधिक इतिहासः-</u>

1. अभियुक्त सुनील उर्फ काला पर दिल्ली मे 06 व गाजियाबाद मे 03 कुल 09 मुकदमे वाहन चोरी के पंजीकृत है।
2. अभियुक्त आस मौहम्मद पर दिल्ली मे 03 व गाजियाबाद मे 02 कुल 05 मुकदमे वाहन चोरी के पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2023 को वादिया श्रीमती नीलम कपूर पत्नी श्री विजय कपूर निवासी जे0-96 पटेलनगर प्रथम ने थाना सिहानीगेट गाजियाबाद पर तहरीर दी कि उनके द्वारा अपने घर में दीमक मारने का छिडकाव करने के लिये ऑन लाईन अर्बन कम्पनी से सम्पर्क किया गया था। अर्बन कम्पनी द्वारा अपना कर्मचारी सुजीत को वादिया के घर में दीमक मारने का स्प्रे छिडकाव के लिये भेजा गया था। छिडकाव के दौरान सुजीत वादिया की ज्वैलरी चोरी करके ले गया। इस संबंध मे थाना सिहानी गेट पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण -- घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 14.09.2023 को अभियुकत सुजीत पुत्र जगन्नाथ कामत शाह निवासी हरिकेश नगर दिल्ली को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं अर्बन कम्पनी में पेस्ट कन्ट्रोल का काम करता हूं। श्रीमती नीलम कपूर के द्वारा पेस्ट (दीमक) कन्ट्रोल हेतु बुलाया गया था वहां अलमारी के नीचे एक बैग में ज्वैलरी रखी हुई थी जिसे मैने लालच में आकर चोरी करके ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

सुजीत पुत्र जगन्नाथ कामत शाह निवासी हरिकेश नगर दिल्ली मूल पता गांव दयालपुर बिद्दूपुर जिला वैशाली बिहार

बरामदगी का विवरण

1.03 कडे सोने के

2.01 मोती माला सोने की

3.07 नोजपिन सोने की

4.08 टॉप्स सोने के

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.09.2023 को वादी ने थाना सिहानीगेट पर तहरीर दी कि उसका पडोसी हरिलाल कामत पुत्र स्व0 तेजीलाल कामत उसकी नाबालिक पुत्री को गली में ले गया तथा उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेडखानी की नीयत से उसका नेकर उतारने का प्रयास किया। तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सिहानीगेट सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये टीमें गठित की गयी। मुखविर की सूचना के आधार पर पुलिस कमिश्रनेट गजियाबाद पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त हीरालाल कामत को गली नं0 03 राकेश मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

हीरालाल कामत पुत्र स्व0 तेजीलाल कामत निवासी ग्राम अनोल थाना धोधरिया जिला मधुबनी बिहार हाल निवासी किराये का मकान नं0 106 गली नं0 3 राकेश मार्ग थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्रान्तर्गत गौकशी करने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 22.08.2023 को थाना मधुबन बापूधाम पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तगणो द्वारा गौकशी करने के सम्बन्ध में उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-

विवेचनात्मक कार्यवाही व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त दानिश पुत्र सलीम तथा अभियुक्त नदीम पुत्र सलीम व अन्य अभि0गणों के नाम प्रकाश में आये। दिनांक 13/14.09.23 की रात्रि को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभि0 दानिश पुत्र सलीम तथा अभि0 नदीम पुत्र सलीम को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि दि0 22.08.2023 हम लोगों ने ही गोविन्दपुरम कूड़ेदान के पास घूम रहे गौवंशों को पकडकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मटियाला के जंगलों में गौवंशों को काटा था। एफ जैड मोटर साइकिल भी हम लोगों ने दिल्ली मेरठ रोड पर मारूति के शोरूम के आगे से इसलिए चुराई थी कि मोटर साइकिल का प्रयोग हम घटना में कर सकें और पकडे ना जायें।

नाम पता अभियुक्त –

1. दानिश पुत्र सलीम निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
2. नदीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण-

1-अभियुक्त दानिश के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में गौवध अधिनियम के 04 अभियोग, आयुध अधि0 के 02 अभियोग, गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोग कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

2-अभियुक्त नदीम के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में गोवध अधि0 का एक अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद

दिनांक 13.09.2023 को थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर इरफान पुत्र विजुद्दीन निवासी मुस्ताफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद को चोरी की एक स्कूटी ACCESS 125 CC सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने यह स्कूटी 02 दिन पहले ही इकराम नगर से चोरी की थी तथा आज इस स्कूटी को बेचने के लिए बागपत जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

इरफान पुत्र विजुद्दीन उर्फ फैजुदीन उर्फ फैजू निवासी मुस्तफाबाद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक स्कूटी सुजुकी कम्पनी ACCESS 125,

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में लूट, चोरी/बरामदगी, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के लगभग 08 अभियोग पंजीकृत है,

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल व फ्लेटों से चोरी किये गये प्लम्बिंग का सामान बरामद

दिनांक 14.09.2023 को थाना वेवसिटी पर वादी श्री विश्वजीत सिंह पुत्र श्री राजा राम निवासी सिटी अपार्टमेन्ट आदित्य वर्ल्ड सिटी गाजियाबाद ने उपस्थित थाना आकर एक तहरीर अज्ञात चोर द्वारा सिटी अपार्टमेन्ट के बन्द पडे कई फ्लेटों से टोटीं तथा अन्य स्टील का प्लम्बिंग का सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना वेवसिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु थाना स्तर से दो टीम गठित की गई। आज दिनांक 14.09.23 को मैनुअल इनपुट एवं मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण जाहिद पुत्र मखमूल निवासी मकमूल सौधन मोहम्मदपुर हयातनगर सम्भल हाल पता उस्मान कालोनी के पास, यामीन मुखिया कालोनी डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद एवं राहुल पुत्र कमलसिंह निवासी शास्त्री नगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद को चोरी की एक मोटर साइकिल व सिटी अपार्टमैन्ट के फ्लैटो से चोरी के टोंटी आदि सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि यह मोटर साइकिल हम लोगों ने दिल्ली से चोरी की थी तथा हम लोग आदित्य वर्ल्ड सिटी के फ्लेटों से चोरी किए गये प्लम्बिंग के सामान व मोटर साइकिल को बेचने हेतु जा रहे थे। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1.जाहिद पुत्र मखमूल निवासी मकमूल सौधन मोहम्मदपुर हयातनगर सम्भल हाल पता उस्मान कालोनी के पास, यामीन मुखिया कालोनी डासना थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष
2.राहुल पुत्र कमलसिंह निवासी शास्त्री नगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1.चोरी की एक मोटरसाइकिल
2. एक थैला जिसमें आदित्य वर्ल्ड सिटी के फ्लेटों से चोरी की गयी कुल 16 टोंटिया जिनमें 09 बड़ी टोंटी व 07 छोटी टोंटी व 04 ऐंगलवाल, एक चंडाशी तथा चोरी करने का सामान।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा पैरोल से फरार चल रहे सिद्धदोष बन्दी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 01.04.2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन मे विशेष पैरोल पर सिद्धदोष बन्दी - राकेश पुत्र बनवारी निवासी ग्राम असदपुर नांगल थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद रिहा हुआ था, जिसको पैरोल समयावधि समाप्त होने के उपरान्त दिनांक 11.11.2020 को समर्पण करना था परन्तु अभियुक्त द्वारा जिला कारागार में समर्पण नही किया गया, तथा लगातार पैरोल से लम्बे समय से फरार चल रहा था। थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

आज दिनांक 14.09.2023 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पैरोल से फरार सिद्धदोष बन्दी अभियुक्त राकेश पुत्र बनवारी निवासी ग्राम असदपुर नांगल थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

राकेश पुत्र बनवारी निवासी ग्राम असदपुर नांगल थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये के 02 इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.09.2023 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार रुपये के 02 इनामी अभियुक्त 1- वरीस पुत्र मकसूद निवासी ग्राम भूड़गड़ी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद 2- रिजवान पुत्र वरीस निवासी ग्राम भूड़गड़ी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को पिपलेड़ा मदरसे के सामने धौलाना रोड से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1-वरीस पुत्र मकसूद निवासी ग्राम भूड़गढ़ी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

2- रिजवान पुत्र वरीस निवासी ग्राम भूड़गढ़ी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास

अभियुक्तगण के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में गौकशी,चोरी की योजना बनाने, नाजायज चाकू रखने व गैंगस्टर का एक-एक अभियोग अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मसूरी पुलिस टीम